P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW,MATHURA

Paper 5th, Paper Name- मुस्लिम विधि Unit -4th

(Muslim Law)

प्रश्न १ . एक मुस्लिम अपनी सम्पत्ति के उपर से कर भारो कि अदायगी के बाद १/३ भाग अधिक कि वसीयतनहि कर सकता है इस नियम कि व्याख्या कीजिये मुस्लिम विधि के अंतर्गत किन परिस्थितियों में वसीयतरध्द हो सकती है

उत्तर. वसीयतसम्बंधी विधि

वसीयत के कानून का उद्‌गम - मुस्लिम विधि में वसीयत का क्या प्रतिबोध है , इस सम्बन्ध में अमीर अली ने न्यायाधीश एम० सौतायरा के शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था कि-"वसीयत मुसलमान के दृष्टिकोण से दैवी कार्य है, क्योंकि यह कुरान से नियंत्रित होता है। यह वसीयतकर्ता को उत्तराधिकार के अधिकार से रहित कुछ संबंधियों को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाने , अजनबी व्यक्तियों द्‌वारा की गयी सेवाओं का प्रत्युपकार करने तथा अन्तिम समय में किये गये स्नेह और शुश्रूषा का प्रत्युपकार करने का अवसर देती है। इस प्रकार यह वसीयतकर्ता को कुछ सीमा तक उत्तराधिकार के कानून में सुधार करने का उपाय है। पैगम्बर ने कहा था कि " प्रत्येक मुसलमान को अपनी मृत्यु के बाद सम्पत्ति के वितरण की व्यवस्था करनी चाहिये तथा जब तक वह वसीयत न लिख ले उसे दो रात भी न सोना चाहिये।"

सामान्य नियम-वसीयत करने के लिये सामान्यतया कोई औपचारिकता अपेक्षित नहीं है। केवल यही आवश्यक है कि वसीयतकर्ता द्‌वारा इस आशय की घोषणा होनी चाहिये कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति का स्वामित्व वसीयतग्रहीता (legatee) को प्राप्त हो जाय।

मुस्लिम विधि के अनुसार वसीयत को मान्य बनाने के लिये कोई लेख जरूरी नहीं है और मौखिक घोषणा का भी कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं होता। मजहर हुसैन बनाम बोधा बीबी के वाद में प्रिवी काउन्सिल ने यह निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति के द्‌वारा अपने मरने से कुछ समय पहले लिखा गया एक पत्र , जिसमें मृतक की सम्पत्ति के बन्दोबस्त के लिये निर्देश अन्तर्विष्ट थे, एक मान्य वसीयत संघटित करता था। वसीयत

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

को, चाहे वह लिखित हो , हस्ताक्षर या साक्ष्य के अनुप्रमाणन (तसदीक) की अपेक्षा नहीं होती। वसीयतनामे का रजिस्ट्रीकृत होना भी आवश्यक नहीं होता।

___ मुस्लिम विधि में संकेतों द्वारा भी वसीयत की जा सकती है। फतवा-ए-आलमगीरी के अनुसार बोलने में असमर्थ बीमार व्यक्ति संकेतों द्वारा या सिर हिलाकर वसीयत कर सकता है यदि उसकी मृत्यु बोलने की सामर्थ्य वापिस पाने के पूर्व हो जाती है तो उसके द्वारा की गई वसीयत मान्य होगी। 4. मान्य वसीयत की अपेक्षाएं (Requisites of a Valid Will) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत मान्य वसीयत की आवश्यक अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं

(1) वसीयतकर्ता (Testator) को वसीयत करने के लिये सक्षम होना जरूरी है।

(2) वसीयतदार (Legatee) को वसीयत ग्रहण करने के लिये सक्षम होना जरूरी है।

(3) वसीयत द्वारा दान की विषय वस्तु का मान्य होना जरूरी है।

(4) वसीयत द्वारा दान का मुसलमानों की वसीयती शक्ति की सीमा के भीतर होना जरूरी है। इन अपेक्षाओं का आगे चलकर ब्योरेवार वर्णन किया जायेगा।

वसीयतकर्ता और उसकी सक्षमता का सिद्धान्त

वह व्यक्ति जो वसीयत करता है , वसीयतकर्ता (Legator या Testator) कहलाता है। प्रत्येक स्वस्थचित्त वयस्क मुसलमान वसीयत कर सकता है। इस प्रकार कोई अवयस्क या पागल वसीयत करने के लिये सक्षम नहीं है।

आत्महत्या (खुदकुशी) करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई वसीयत-सुन्नी विधि के अन्तर्गत आत्महत्या (खुदकुशी)करने वाले व्यक्ति की वसीयत मान्य होती है। शिया विधि के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति की वसीयत , जिसने आत्महत्या करने की कोई कार्यवाही की हो , मान्य नहीं होती। लेकिन यदि आत्महत्या की गई कार्यवाही करने से पहले वसीयत की गई हो तो वह मान्य होती है। ऐसे दृष्टान्त में जहाँ मृत व्यक्ति ने पहले अपनी वसीयत कर दी और तब जहर खाया , यह निर्णीत किया गया कि वसीयत मान्य है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

वसीयतदार (Legatee) और उसकी सक्षमता का सिद्धान्त

सम्पत्ति धारण करने में समर्थ कोई भी व्यक्ति किसी वसीयत के अन्तर्गतवसीयतदार हो सकता है। इसी प्रकार लिंग, आयु, निष्ठा या धर्म रिक्थ ग्रहण करने में कोई अवरोध पैदा नहीं करते। वसीयत किये जाने के समय सुन्नी विधि के अन्तर्गतवसीयतदार का अस्तित्व में होना जरूरी है। शिया विधि के अन्तर्गतवसीयतकर्ता के मरने के पहले उसको अस्तित्व में होना चाहिये।

एक मुसलमान न तो एक तिहाई सम्पत्ति से अधिक अधिक वसीयत में दे सकता है और न ही वह उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत कर सकता है। किसी ऐसे लक्ष्य के लिये वसीयत, जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध हो, अवैध होती है। जहाँ कि (i) एक मुसलमान वसीयत द्वारा अपना मकान किसी अजनबी को दे देता है। वसीयत द्वारा दी गई सम्पत्ति की एक-तिहाई से अधिक है और की गयी ऐसी वसीयत के पक्ष में उत्तराधिकारियों ने अपनी सहमति नहीं प्रदान किया है, या (ii) एक हनफी या सऊदीबोहरे द्वारा उत्तराधिकारी को वसीयत की जाती है और उत्तराधिकारियों ने वसीयत के पक्ष में अपनी इच्छा प्रकट नहीं की है , या (iii) एक मुसलमान द्वारा हिन्दुओं के मन्दिर या यहूदियों के प्रार्थना-पत्र या ईसाईयों के प्रार्थना-भवन (गिरजाघर) के उत्तराधिकारी , हेतु दिया गया दान, विधिमान्य वसीयत नहीं होगा।

कुछ विशेष उदाहरण

(क) किसी संस्था को वसीयती दान-किसी संस्था के लाभ के लिये किया गया वसीयती दान मान्य होता है।

(ख) गैर मुस्लिम को वसीयती दान-किसी गैर मुस्लिम को दिया हुआ वसीयती दान मान्य होता

(ग) वसीयतकर्ता (वसी) के हत्यारे को वसीयती दान-सुन्नी विधि के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को वसीयती दान, जिसने साशय या अनजाने में वसीयतकर्ता की हत्या की हो , अमान्य होता है। शिया-विधि के अनुसार यदि हत्या जान बूझकर की गयी हो तो हत्यारे

Pgs National College of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

व्यक्ति के पक्ष में की गई वसीयत अमान्य है , परन्तु यदि वसीयतदार के द्वारा बिना आशय के वसीयतकर्ता की हत्या हो जाती है तो वसीयत अमान्य नहीं है।

(घ) अजन्मे व्यक्ति को वसीयती दान- किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई वसीयत , जो वसीयत करने के समय अस्तित्व में नहीं था , शून्य होती थी। परन्तु भारत में यह नियम किस सीमा तक लागू होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आधुनिक विधि का सिद्धान्त यह है कि वसीयत वसीयतकर्ता के गने के बाद ही क्रियान्वित की जा सकती है। इस मत को बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल कादिर बनाम सी० ए० टर्नर में स्वीकार किया गया था। ऐसे व्यक्ति के पक्ष में वसीयत का किया जाना जो वसीयतकर्ता कीमृत्यु के समय जीवित नहीं था, शून्य था। परन्तु सुन्नी विधि के अनुसार वसीयत लिखने की तारीख से 6 महीने के अन्दर पैदा होने वाला बच्चा ऐसा वसीयतदार समझा जाता है कि जिसका अस्तित्व हो और इस कारण वह वसीयती दान प्राप्त करने के लिये सक्षम होता है परन्तु शिया विधि में बच्चे के पैदा होने के सम्बन्ध में कोई अवधि नियत नहीं की गई है। जरूरी केवल यह है कि वसीयतकर्ता के मरने के समय वसीयतदार का अस्तित्व हो। मुस्लिम विधि में वसीयतदारों के बारे में दो नियम हैं

(i) यह कि वसीयत करने के समय उसको विद्यमान होना चाहिये। यह या तो वास्तविक रूप से या सम्भाव्यतः रूप से हो सकता है (अर्थात् जिसके पक्ष में वसीयत की गई उसको छः माह के अन्दर पैदा हो जाना चाहिये), एवं

(ii) यह कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय उसको जीवित होना चाहिये।।

वसीयत करने की विषय वस्तु और मान्यता ___

कोई सम्पत्ति चल हो या अचल, मूर्त हो या अमूर्त, जिसका अन्तरण किया जा सकता है और वसीयतकर्ता के मरने के समय जिसका अस्तित्व हो , वसीयत द्वारा बन्दोबस्त की मान्य विषय-वस्तु हो सकती है। विषय वस्तु की मान्यता के लिये दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि वह किसी दूसरे की सम्पत्ति न हो। कोई भी मुसलमान एक तिहाई सम्पत्ति से अधिक वस्नीयत में नहीं दे सकता है। जब एक मुसलमान की मृत्यु हो जाती है तो मरने वाले व्यक्ति का यदि कोई ऋण है तो उसकी पहले अदायगी की जानी चाहिये।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

इसी प्रकार मृतक व्यक्ति के अन्तिम संस्कार में जो धन खर्च होता है उसका भुगतान कर देना चाहिये। उपर्युक्त खर्चों को काटने के बाद बची हुई सम्पत्ति में एक-तिहाई सम्पत्ति को वसीयत द्वारा दिया जा सकता है।

वसीयती शक्ति और सीमाएं

किसी मुसलमान की वसीयती शक्ति दो प्रकार से सीमित होती है। उसे वसीयत द्वारा बन्दोबस्त की असीमित शक्ति नहीं होती। निम्नलिखित दो शीर्षकों के अन्तर्गत इन सीमाओं पर विचार किया जायेगा

(i) वसीयतदार व्यक्तियों से सम्बद्ध सीमा,

(ii) सम्पत्ति से सम्बद्ध सीमा।

वसीयतदार व्यक्तियों से सम्बद्ध सीमा- एक मुसलमान द्वारा उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि खुदा ने प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिसाब दे दिया है। इसलिये ऐसे व्यक्ति के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती है जो उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो। परिणामस्वरूप सुन्नी एवं फातिमिद विधियों का यह सिद्धान्त है कि जब तक अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा सहमति न दी गई हो किसी उत्तराधिकारी को उत्तरदान (वसीयत) नहीं दिया जा सकता है।"

सहमति का सिद्धान्त (Doctrine of Consent)

उपर्युक्त सामान्य नियम के अपवादों के अनुसार वसीयतकर्ता की सम्पत्ति के एक तिहाई से अधिक का वसीयती दान , यदि दूसरे उत्तराधिकारी उसके लिये सहमति दे दें तो मान्य होता है। उसी तरह दूसरे उत्तराधिकारियों की सहमति से उत्तराधिकारी को किया गया वसीयती दान भी मान्य होता है। यह सहमति कैसे और कब दी जा सकती है, यह वापस ली जा सकती है या नहीं , यदि उत्तराधिकारियों में से केवल कुछही अपनी सहमति दें तो क्या होगा , आदि के सम्बन्ध में कुछ नियम लेखबद्ध किये गये हैं , जिन्हें इस शीर्षक के अन्तर्गतसंव्यवहार किया गया है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

विखण्डनीय (रद्द किये जाने योग्य) नहीं-सहमति एक बार दी जाकर फिर रद्द नहीं की जा सकती।

वसीयतकर्ता एवं वसीयतग्रहीता की सम्पत्ति

वसीयत तभी मान्य होगी जबकि वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से वसीयत किया हो। यदि कोई व्यक्ति दबाव , अनुचित असर, कपट या मिथ्या व्यपदेशन के प्रभाव में आकर वसीयत करता है तो ऐसी वसीयत शून्य होगी और वसीयतग्रहीतावसीयतकर्ता की सम्पत्ति को ऐसे वसीयत के अन्तर्गत नहीं प्राप्त करेगा

मान्य वसीयत के लिये यह भी आवश्यक है कि वसीयतग्रहीता वसीयत की गई सम्पत्ति को स्वीकार करे। वसीयतग्रहीता द्वारा वसीयतकर्ता के मरने पर वसीयत के प्रति अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है।

आनुपातिक हास (Reteable abatement)

आनुपातिक हास से मतलब है-'यथानुपात कमी'। जहाँ दो या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किसी सम्पत्ति के एक तिहाई से अधिक भाग का वसीयती दान किया जाता है और उत्तराधिकारी अपनी सहमति नहीं देते हैं, वहाँ हनफी विधि के अन्तर्गत हिस्सा अनुपात से कम करके 1/3 कर दिया जाता है, अर्थात् वसीयती बात का आनुपातिक हास हो जाता है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न २ . दान (हिबा) को परिभासित कीजिये तथा उनके आवश्यक तत्वों कि विवेचना किजिये प्रति सन्हहरन से सम्बंधितविधि क वर्णन करो

उत्तर. दान (हिबा) सम्बन्धी विधि(THE LAW OF GIFT)

मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुसलमान अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति का विधिपूर्ण ढंग से दान कर सकता है। या वह अपनी सम्पत्ति को वसीयत द्वारा , जो उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होगी अन्तरित कर सकता है। पहले वाले अन्तरण को दो जीवित व्यक्तियों के बीच निस्तारण और बाद वाले अन्तरण को वसीयतीनिस्तारण कहते हैं। जीवित व्यक्तियों में सम्पत्ति के निस्तारण की दशा में वह अपनी सम्पत्ति को किसी सीमा तक अन्तरण कर सकता है जबकि वसीयतीनिस्तारण में वह सम्पूर्ण सम्पत्ति का केवल 1/3 भाग ही दान कर सकता है। परिचय- हिबा दो प्रकार से किया जाता है

(1) जीवित दशा में हिबा,

(2) वसीयत के द्वारा हिबा।

कोई भी मुसलमान अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिहिबा में दे सकता है और इस सम्बन्ध में उसके ऊपर मुस्लिम विधि द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

लेकिन वसीयत के द्वारा अन्तरण पर एक-तिहाई का प्रतिबन्ध लगा दिया गया है क्योंकि वसीयत के द्वारा हिबावसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरान्त प्रभावी होता है।

परिभाषायें

जीवति लोगों के बीच (inter vivos) हिबा का शाब्दिक अर्थ है- "ऐसी वस्तु का दान जिससे आदाता अर्थात् दानग्रहीता (Donee) लाभ उठा सके" (हेदाया482)। तकनीकी भाव में उसकी परिभाषा है- "एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को तुरन्त और बिना किसी विनिमय (Exchange) या बदले (एवज) के किया गया बिना शर्त सम्पत्ति का अन्तरण , जिसे दूसरा स्वीकार करता है या उसकी ओर से स्वीकार किया जाता है।" (हेदाया482)

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

भारत में अक्सर यह समझा जाता है कि अंग्रेजी का 'गिफ्ट' (Gift) शब्द "हिबा" शब्द का ठीक पर्यायवाची है और इन दोनों शब्दों से बिना प्रतिकर के सम्पत्ति के सभी अन्तरणों का आशय समझा जाता है। परन्तु "गिफ्ट' शब्द का अर्थ 'हिबा' से कहीं अधिक व्यापक होता है। बेली ने दान की परिभाषा "बिना किसी विनिमय के किसी विशिष्ट वस्तु में सम्पत्ति के अधिकार के "दान के रूप में" की है।

(हिबा के) आवश्यक तत्व

मान्य हिबा की अपेक्षाएं या आवश्यक तत्व चार हैं

1. हिबा के पक्षकार,

2. हिबा की विषय वस्तु,

3. विषय वस्तु की सीमा,

1. हिबा (दान) के पक्षकार-उपहार के संव्यवहार के दो पक्षकार होते हैं :

(i) दाता (Donor) अर्थात् वह व्यक्ति जो उपहार देता है।

(ii) उपहारग्रहीता (आदाता : Donee) अर्थात् वह व्यक्ति जो कोई वस्तु उपहार के रूप में लेता

(i) दाता : उसकी अर्हताएं- उपहार देने की सामर्थ्य नीचे दी गई बातों पर निर्भर होती है

(1) वयस्कता,

(2) स्वस्थ मस्तिष्क तथा समझने की शक्ति,

(3) स्वतन्त्रता और

(4) अन्तरण की विषय वस्तु का स्वामित्व।

(1) वयस्कता-

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

दाता का वयस्क होना आवश्यक है। युवावस्था (15 वर्ष की आयु) केवल विवाह, हर और विवाह-विच्छेद के प्रयोजनार्थ वयस्कता की आयु मानी जाती है। अन्य मामलों में भारतीय वयस्कता अधिनियम में दी गयी वयस्कता सम्बन्धी विधि लागू होती है। इस अधिनियम के अनुसार सामान्यत: कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को प्राप्त होने पर वयस्क हो जाता है। परन्तु यदि वह प्रतिपाल्य न्यायालय (Court of Wards) के पर्यवेक्षण में है तो वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर वयस्कता प्राप्त करेगा। अवयस्क द्वारा दिया गया दान शून्य है। ;

(2) स्वस्थ मस्तिष्क-

दाता को स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिये। अस्वस्थचित्त व्यक्ति अपने कार्यों के विधिक परिणामों को नहीं समझ सकता। किसी अस्वस्थचित्त व्यक्ति द्वारा उस अन्तराल में किया गया अपहार वैध है, जबकि वह स्वस्थ चित्त का हो जाता है।

(3) स्वतन्त्रता-

उपहार दाता की स्वतन्त्र इच्छा से दिया जाय तभी वैध होगा। दबाव, असम्यक् असर मा मिथ्या व्यपदेशन से प्रभावित उपहार मान्य नहीं होगा। 4 (4) अन्तरण की विषय-वस्तु का स्वामित्व- कोई व्यक्ति केवल उसी सम्पत्ति को उपहार में दे सकता है जिसका वह स्वामी हो। ऐसी सम्पत्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व में है , उपहार की विषय वस्तु नहीं बन सकती है। किसी मकान का किरायेदार ऐसे मकान का दान नहीं कर सकता है।

कुछविशेष उदाहरण

(क) अजन्मे लोग-अजन्मे व्यक्ति को दिया गया उपहार या दान अमान्य होता है, तथापि दान

की तारीख से छः महीने के अन्दर जन्म लेने वाला प्राणी अस्तित्व में समझा जाता है और वह सक्षम दानग्रहीता होता है। सम्पत्ति में फलोपभोग का हित ऐसे व्यक्ति के पक्ष

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

में दिया जा सकता है जो यद्यपि प्रदान के समय अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उपहार के प्रारम्भ के समय

वह अस्तित्व में था।

(ख) मस्जिद-मस्जिद और दूसरी संस्थाएं विधिक व्यक्ति (Legal person) मानी जाने के कारण

सक्षम दानग्रहीता होती हैं।

(ग) गैर-मुस्लिम-किसी गैर मुस्लिम को दिया गया दान या उपहार मान्य होता है।

हिबा या दान की विषय-वस्तु

सामान्य सिद्धान्त-सामान्य सिद्धान्त यह है कि उस वस्तु का दान हो सकता है

(क) जिस पर स्वामित्व (मिल्कियत) या सम्पत्ति के अधिकार का प्रयोग किया जा सके, या

(ख) जिस पर कब्जा किया जा सके, या

(ग) जिसका अस्तित्व (i) किसी विशिष्ट वस्तु या (ii) निष्पादन अधिकार के रूप में हो, या

(घ) जो 'माल' शब्द के अर्थ के भीतर आती हो।

मुस्लिम विधि पैतृक या स्वयं अर्जित की गई सम्पति , स्थावर या व्यक्तिगत, चल या अचल सम्पत्ति में अन्तर नहीं करती। मुस्लिम विधि के अन्तर्गतसम्पत्ति को 'माल' कहा जाता है। इसमें वे सब प्रकार की सम्पत्ति आती हैं जिनका अधिभोग किया जा सकता है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसका अधिभोग किया जा सकता है या ऐसा अधिकार जिसका प्रयोग किया जा सकता है अथवा कोई ऐसी वस्तु जिसे कब्जे में रखा जा सकता है और जो विशिष्ट सत्ता की तरह विद्यमान है, अथवा कोई ऐसा प्रवर्तनीय अधिकार या वस्तु जो वस्तुतः माल के अर्थ में आती है , उपहार की विषय-वस्तु बन सकती है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

भोगाधीन वस्तु एवं अमूर्त अधिकार को भी बिल्कुल उसी प्रकार से दान में दिया जा सकता है जिस प्रकार से मूर्त अधिकार (Corporeal right) को दान में दिया जाता है।

हिबा की मान्य विषय-वस्तु होने के लिये सम्पत्ति में निम्नलिखित अर्हताएँ होनी आवश्यक हैं

(i) हिबा करने के समय उसका अस्तित्व में होना जरूरी है , जैसे- भविष्य में उत्पन्न की जाने

वाली किसी वस्तु का हिबा शून्य होता है।

(ii) दाता को उस पर काबिज होना जरूरी है , जैसे-अतिचारी (Trespasser) अर्थात् अनधिकारप्रवेष्टा द्वारा किया गया हिबा , जहां दानग्रहीता को कब्जा नहीं मिल सकता , शून्य होता है।

हिबा की विषय-वस्तु की सीमा एवं तत्व

मुस्लिम विधि में सम्पत्ति के दो तत्वों-काय (Corpus) और फलोपोग (Usufruct) के बीच प्रभेद माना जाता है और उसका अलग महत्व है। काय से आशय दान की विषय-वस्तु के सम्पूर्ण स्थूल भाग से है। यहाँ मुख्यत: काय से तात्पर्य "सम्पत्ति पर स्वामित्व का निरपेक्ष अधिकार"-अर्थात् सम्पत्ति पर स्वामित्व का ऐसा अधिकार जो उत्तराधिकार-योग्य (heritable) हो और समय के विचार से जिसकी कोई सीमा न हो। फलोपभोग से तात्पर्य है-"सम्पत्ति के उपभोग और उपयोग का किसी व्यक्ति का अधिकार। " समय की दृष्टि से यह अधिकार सीमित होता उत्तराधिकार-योग्य (Heritable) नहीं होता। सम्पत्ति के काय (ऐन) का दान "हिबा" कहलाता है और फलोपभोग का दान 'अरीया'।

मुस्लिम विधि के अन्तर्गतहिबा से संव्यवहार करने में न्यायालय का पहला कर्तव्य यह देखना है कि वह काय का हिबा है या फलोपभोग का। यदि वह काय का हिबा है तो कोई ऐसी शर्त, जो हिबा की विषयवस्तु को पूर्ण स्वामित्व से नीचे ली जाती हो , विसंगत (Repugnant) मानकर-अस्वीकार कर दी जायेगी। एक आधुनिक मुकदमे में यह विनिश्चित किया गया कि दान काय (Corpus) का अवश्य होना चाहये। ऐसा दान जहाँ

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

कि दानकर्तासम्पत्ति पर कब्जे का अधिकार अपने जीवन काल तक आरक्षित रखे और दानग्रहीतादानकर्ता की मृत्यु के बाद कब्जे का अधिकार पा सके , अमान्य है।। काय पर अधिकार निरपेक्ष, उत्तराधिकारयोग्य और समय के विचार से असीमित होता है।

विषय-वस्तु के प्रकार-

हिबा की विषय वस्तु मूर्त (Corporeal) या अमूर्त (Incorporeal) हो सकती है। मूर्त सम्पत्ति वह है जो भौतिक अस्तित्व रखती हो और इस रूप में देखी और छुई जा सके, जैसेमकान, धन या भूमि। अमूर्त सम्पत्ति वह है जिसका भौतिक अस्तित्व न हो , जैसे-किसी ऋण का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार या बन्धक या मोचन का अधिकार।

_ विभिन्न विषय-वस्तुएँ

ऐसी सम्पत्ति जो दाता में हिबा के समय निहित होती है और जो दाता दानग्रहीता को दी जाती है, हिबा की विषय-वस्तु होती है। विनिश्चित वादों के आधार पर कुछ मूर्त और अमूर्त सम्पत्तियाँ नीचे दी जाती हैं जो हिबा की मान्य विषय वस्तु हो सकती हैं

(क) ऋण का भुगतान लेने का अधिकार।

(ख) धन (माल)।

(ग) अधिकार जो पूर्ण स्वामित्व का न हो , जैसे-लगान वसूली का अधिकार, राजस्व देने वाले
गाँवों का लाभ।

(घ) बन्धक मोचन का अधिकार (Equity of redemption)-कोई मुसलमान बन्धक रखी हुई
सम्पत्ति के बन्धक मोचन के अधिकार को उपहार के रूप में दे सकता है।

(ङ) आजीवन हित (ध्यान रहे कि आजीवन हित सम्पत्ति के काय पर कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न
करता)।

(च) मेहर।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(छ) सरकारी प्रतिभूतियाँ (Securities)

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न ३ . वक्फ को परिभासित कीजिये एवम इसके तत्वों कि विवेचना कीजिये क्या कोइ गैर मुस्लिम वक्फ सृजन कर सकता है वर्णन करो

उत्तर.भारत में वक्फ सम्बन्धी विधि

वक्फ संस्था की उत्पत्ति इस्लाम धर्म के साथ ही हुई। इस्लाम धर्म के पहले वक्फ जैसी संस्था अरब में नहीं थी। वक्फ के विधिशास्त्र के उद्‌गम का पूरा श्रेय मुस्लिम विधिवेत्ताओं को जाता है।

यद्‌यपि कि कुरान में वक्फ के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है लेकिन कुरान में कुछ वाक्य दान, खैरात (charity) के सम्बन्ध में कहे गये हैं, यही वक्फ विधि का भी आधार है। कुरान में दो स्थानों पर कहा गया

"और तुम्हारी दौलत में भिकारियों का तथा गरीबों का भी कुछ हिस्सा है। " (XXVI : 19)

"तुम्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक तुम उस वस्तु से जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, जकात, खैरात न दो, और जो कुछ तुम इस तरह दोगे ईश्वर इसे जानता है।" (III : 86)

परिभाषा

शाब्दिक अर्थ-'वक्फ' के शाब्दिक अर्थ हैं– 'निरोध', 'रोक' या 'प्रतिबन्धित करना' अर्थात् समर्पित सम्पत्ति के स्वामित्व को समर्पणकर्ता से दूर करके सर्वशक्तिमान में निरुद्ध कर देना।

जैसा कि मुस्लिम विधिवेत्ताओं द्‌वारा परिभाषित है

1. अबूहनीफा के अनुसार-"यह किसी विशेष वस्तु को किफ के स्वामित्व में रोक रखना और उसके लाभ या फलोपभोग की खैरात में गरीबों पर या दुसरे नेक प्रयोजनों से आरियत या बिना सूद के ऋण के रूप में विनियोग करना (लगाना) है।" इस परिभाषा में

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College of Law

दो तत्व निहित हैं-प्रथम, वक्फ के पश्चात् भी वस्तु के स्वामी का स्वामित्व बना रहता है और द्‌वितीय, फलोपभोग किसी खैराती अथवा धार्मिक उद्देश्य में लगाया जाता है।।

2. उसके दो शिष्यों (शागिर्दों) के अनुसार- अबूहनीफा के शिष्य अबूयूसुफ ने वक्फ की परिभाषा इस प्रकार दी है- "वक्फ किसी वस्तु का सर्वशक्तिमान खुदा के उपलक्षित स्वामित्व में इस प्रकार निरोध (detention) है कि संस्थापक का सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार समाप्त हो जाय और उसे सर्वशक्तिमान खुदा को किसी ऐसे प्रयोजनों के लिये अन्तरित किया जाय जिसके द्‌वारा उससे होने वाली आय को उसकी सृष्टि के कल्याण हेतु विनियोजित किया जा सके। इस परिभाषा में तीन तत्व विद्‌यमान हैं

1. खुदा का स्वामित्व,

2. वसीयतकर्ता के अधिकार की समाप्ति और

3. मानवजाति को लाभ।

वक्फ अधिनियम, 1913 के अन्तर्गत दी गई परिभाषा-

वक्फ की सबसे अधिक व्यापक परिभाषा मुसलमान वक्फ विधि मान्यकारी अधिनियम (Musalman Waqf Validating Act, 1913) में दी गई है। इस अधिनियम की धारा 2 (1) कहती है-"वक्फ का तात्पर्य है , इस्लाम धर्म में निष्ठा प्रकट करने वाले किसी व्यक्ति द्‌वारा किसी सम्पत्ति का मुस्लिम विधि के अन्तर्गत धार्मिक , पवित्र या खैराती समझे जाने वाले प्रयोजन के लिये स्थायी समर्पण।" यह परिभाषा अधिनियम के प्रयोजन के लिये है और अनिवार्यतः पूर्ण नहीं है।

वक्फ के अनिवार्य तत्व-सुन्नी विधि में वक्फ के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं__

1. किसी सम्पत्ति का स्थायी समर्पण,

2. इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले स्वस्थचित्त तथा वयस्क व्यक्ति द्‌वारा,

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

3. मुस्लिम विधि द्वारा धार्मिक, पवित्र या खैराती समझे जाने वाले किसी प्रयोजन के लिये।

1. किसी सम्पत्ति का स्थायी समर्पण (Permanent Dedication of any property)- मान्य वक्फ का पहला आवश्यक तत्व यह है कि 'सम्पत्ति का स्थायी समर्पण ' होना चाहिये। इस पदावली से तीन बातें परिलक्षित होती हैं (i) समर्पण होना आवश्यक है, (ii) समर्पण का स्थायी होना जरूरी है , और (iii) समर्पण किसी सम्पत्ति का होना चाहिये। इन बातों का नीचे दिया गया स्पष्टीकरण अपेक्षित है

(i) समर्पण का होना आवश्यक है (There must be dedication)–मुस्लिम विधि द्वारा धार्मिक, पवित्र या खैराती समझे जाने वाले प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति के फलोपभोग का एक सारवान समर्पण होना वक्फ का एक आवश्यक तत्व है। समर्पण की क्रिया के साथ ही साथ घोषणा भी की जानी चाहिये। वक्फ करने के लिये किसी खैराती प्रयोजन के लिये सम्पत्ति के अलग कर देने का आशय मात्र काफी नहीं होता। समर्पण की घोषणा करने के लिये शब्दों का कोई प्रारूप आवश्यक नहीं है। वह मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। अबूयुसुफ के मतानुसार , वक्फ द्वारा सम्पत्ति का समर्पण केवल घोषणा द्वारा पूर्ण हो जाता है। कब्जे कापरिदान अथवा मुतवल्ली की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

इमाम मोहम्मद के मतानुसार, जब तक कि घोषणा के अतिरिक्त मुतवल्ली की नियुक्ति न की जाय और उसे सम्पत्ति का कब्जा न दिया जाय, वक्फ पूर्ण नहीं होता।

भारत वर्ष में अबूयुसूफ का मतअनुसरित किया जाता है और इमाम मोहम्मद का मत मान्य नहीं है। शिया विधि के अन्तर्गत , कब्जे का परिदान वक्फ का आवश्यक तत्व माना जाता है।

(ii) समर्पण का स्थायी होना आवश्यक है (The dedication must be permanent) किसी वक्फ की मान्यता के लिये स्थायित्व या शाश्वतता एक जरूरी शर्त है। उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मदइस्माइल बनाम ठाकुर साबिर अली के वाद में यह निर्णीत किया

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

कि मुसलमान वक्फ विधि मान्यकारी अधिनियम, 1913 की धारा 2 (i) में प्रयुक्त शब्द 'स्थायी समर्पण' का तात्पर्य है कि वक्फसम्पत्ति खुदा से सृजित है। सम्पत्ति के स्थायी समर्पण से तात्पर्य है कि एक बार वक्फ का सृजन हो जाने के पश्चात् इसे प्रतिसंहृत नहीं किया जा सकता। वक्फ के सृजन में यह उपलक्षित है। चूंकि सम्पत्तिवक्फ के सृजन के तुरन्त पश्चात् खुदा में निहित हो जाती है , अतः ऐसे बन्दोबस्त को रद्द नहीं किया जा सकता है। यदि सम्पत्ति एक बार वक्फ हो गयी तो वह सदैव वक्फ ही रहेगी। जहाँ तक संस्थापक प्रतिसंहरण की शक्ति को अपने पास आरक्षित रखता है वहाँ वक्फ प्रारम्भ से ही शून्य है। जैसे दस या बीस साल के लिये समर्पण समय की दृष्टि से सीमित होने के कारण मान्य नहीं होता। स्थायी समर्पण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि समर्पण पूर्ण और बिना शर्तहोना चाहिये। समर्पण किसी शर्त या घटना के अधीन नहीं होना चाहिये। एक वाद में एक मुसलमान पत्नी द्वारा न्यास के रूप में अपनी सम्पत्ति अपने पति को इस निर्देश के साथ हस्तान्तरित की गयी कि वह (पति) वक्फ की सम्पत्ति की आय से उसका (पत्नी का) और बच्चों का भरण पोषण करे और उसके बच्चों के वयस्क होने पर सम्पत्ति उन्हें अन्तरित कर दे तथा पत्नी की निस्संतान मृत्यु होने की दशा में सम्पत्ति की आय को कतिपय धार्मिक प्रयोजनों में लगा दे, यह निर्णीत हुआ कि ऐसा वक्फ विधिमान्य नहीं है क्योंकि वक्फ व्यवस्थापक की मृत्यु होने पर प्रभावित है। घटनापेक्ष (Contingent) या सशर्त (Conditional) वक्फ मान्य नहीं होता। उदाहरणार्थ, यदि यह उपबन्धित किया जाता है कि वक्फ उस समय प्रभाव में आयेगा जबकि अमुक व्यक्ति 50 वर्ष की अवस्था के पूर्व मर जाय , तो ऐसा वक्फ शून्य है।

2. इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा (By a person professing Mussulman faith)–जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मान्य वक्फ का दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि वह इस्लाम धर्म में निष्ठा प्रकाशित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाय।
'व्यक्ति' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम के अन्तर्गत वयस्कता की आयु अर्थात् 18 वर्ष [21 वर्ष यदि प्रतिपाल्य का संरक्षक

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

न्यायालय द्वारा नियुक्त हो की आयु प्राप्त कर ली हो तथा स्वस्थचित्त हो। ऐसा व्यक्ति अपनी कुल सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से का समर्पण करने के लिये सक्षम है। अवयस्क द्वारा निर्मित वक्फप्रारम्भतः शून्य है और ऐसा व्यक्ति वयस्क होने पर वक्फ को अनुसमर्थित नहीं कर सकता। अवयस्क का संरक्षक अवयस्क की तरफ से वक्फ का सृजन नहीं कर सकता।

उस व्यक्ति की दूसरी अर्हता यह है कि वह इस्लाम धर्म का अनुयायी हो। वक्फमान्यकारी अधिनियम, 1913 के अन्तर्गतवक्फ का संस्थापक (वाकिफ) मुस्लिम होना चाहिये। लेकिन एक गैर मुसलमान भी वक्फ का सृजन कर सकता है। अम्मीर अली के अनुसार "वक्फ का सृजन कर सकता है, परन्तु कानून यह अपेक्षा करता है कि जिस उद्देश्य के लिये वक्फ का सृजन किया गया हो वह समर्पणकर्ता के धर्म के अनुसार और इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार वैध हो।'

वर्गीकरण-मुस्लिम विधिवेत्ताओं द्वारा वक्फ का निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है

(i) धनी एवं गरीब लोगों के लिये वक्फ का सृजन,

(ii) पहले धनी लोगों के लिये और उसके बाद गरीब लोगों के लिए वक्फ का सृजन,

(iii) केवल गरीब लोगों के लिए वक्फ का सृजन।

प्रथम प्रकार में वे वक्फ आते हैं जो कि आधुनिक विधि में परोपकारी या हितकारी स्वरूप के सार्वजनिक न्यास होते हैं। स्कूल या अस्पताल इसी संज्ञा में आते हैं। दूसरे प्रकार के वक्फ के अन्तर्गत पारिवारिक वक्फ आते हैं जिनको वाकिफ (वक्फकर्ता) के परिवार के लाभ के लिये बनाया जाता है। ऐसे वक्फों का लाभ अन्त में गरीबों को मिलता है। तीसरे प्रकार के वक्फ के अन्तर्गत वे वक्फ आते हैं जो भोजन , कपड़े एवं बीमारी की स्थिति में सहायता के लिये बनाये जाते हैं।

मुस्लिम विधि द्वारा मान्य किसी प्रयोजन के लिये (For any purpose recognised by Mussalman Law)–इसे वक्फ का उद्देश्य भी कहते हैं। इस तौर से मान्य वक्फ का

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

तीसरा आवश्यक तत्व यह है कि समर्पण ऐसे प्रयोजनों के लिये होना चाहिये जिसे मुस्लिम विधि धार्मिक, पवित्र या खैराती मानती हो। वक्फमान्यकारी अधिनियम, 1913 की धारा 3 वक्फ के कुछ प्रयोजनों का उल्लेख करती है, उसका विवरण सर्वतः पूर्ण नहीं है।

तथापि विनिश्चित वादों और प्रमुख मुस्लिम विधिवेत्ताओं के ग्रन्थों के आधार पर कुछ ऐसे उद्देश्य नीचे दिये जाते हैं जो वक्फ के मान्य उद्देश्य निर्णीत किये जा चुके हैं

1. मस्जिदों और नमाज के संचालन के लिये इमामों का उपबन्ध।
2. अली मुर्तजा का जन्मोत्सव।।
3. इमामबाडों की मरम्मत।
4. खानकाहों का संरक्षण।
5. मस्जिदों में चिराग जलाना।।
6. सार्वजनिक स्थानों और निजी मकानों में कुरानखानी।
7. गरीब रिश्तेदारों और आश्रितों का भरण-पोषण।
8. फकीरों को धन दान।
9. किसी ईदगाह को दान।
10. कालेजों को दान और कालेजों में शिक्षा देने के लिये अध्यापकों के लिये उपबन्ध।
11. पुल और कारवाँ-सरायें।
12. भिक्षा वितरण और मक्का हज करने जाने के लिये गरीबों की मदद से
13. मोहर्रम के महीने में ताजिये रखना और मोहर्रम में धार्मिक जुलूसों के लिये ऊंटों और'दुलदुल' का उपबन्ध।...
14. संस्थापक और उसके वंश के लोगों का मृत्यु दिवस मनाना ।।
15. 'कदम शरीफ' की रस्म अदा करना।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.